

## Corrigendum

### **FISHERIES DEPARTMENT HARYANA** **e-auction Notice**

It is for information to General Public that e-auction of Fishing Rights of notified waters, rivers, canals and drains of the districts of Haryana State Whose e-auction is not Completed on dated 23.07.2020 for the year 2020-21 (01-09-2020 to 31-08-2021) shall be put to open public e-auction on 30-07-2020 from 9:00 AM to 12:00 Noon online at the e-Procurement portal <https://harfish.sets.co.in>

Before start of the e-auction the interested bidders shall have to deposit earnest money as shown against each District/Districts on dated as given below in shape of offline Demand Draft in favour of Director Fisheries Haryana Panchkula in order to take part in the e-auction.

Date of E-auction	Date for Deposit of Earnest money
30-07-2020	28-07-2020 till 4.00 PM

The successful bidders will have to deposit the full amount of contract or 1/3<sup>rd</sup> of e-auction amount and 5% of the contract amount as security in the bank account of the concerned District Fisheries Officers, online through RTGS/NEFT as per bank account details given, on the same day of e-auction and the remaining amount within 30 days from the date of the e-auction. In case of failure to deposit the remaining 2/3<sup>rd</sup> amount by the bidder within the stipulated period of 30 days, the 1/3<sup>rd</sup> amount deposited by the bidder at the time of e-auction and 5% of the contract amount as security and earnest money shall be forfeited.

Others details, terms and conditions can be seen at the <https://harfish.sets.co.in> and Haryana Fisheries Departmental website [www.harfish.gov.in](http://www.harfish.gov.in) and details can also be procured from the office of the District Fisheries Officers of the District or Deputy Director Fisheries at Division level or Director Fisheries Haryana, Panchkula.

Sd/-

Director Fisheries Department Haryana,  
Bays. No. 31-32, Sector 4,  
Panchkula.

## षुद्धि पत्र

मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

### ई- निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के उन जिलो की अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी, जिनकी ई-निलामी दिनांक 23.07.2020 को पुरी नही होती है, के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2020-21 (1-9-2020 से 31-8-2021 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी दिनांक 30.07.2020 को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक Online portal <https://harfish.sets.co.in> पर की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता को ई-निलामी शुरू होने से पूर्व निम्नलिखित दिनांक अनुसार धरोहर राशि सांय 4.00 बजे तक जिले के सामने दर्शाई गई धरोहर राशि offline Demand Draft in favour of Director Fisheries Haryana, Panchkula के नाम बनवा कर प्रस्तुत किये जाने है

निलामी की तिथि	धरोहर राशि जमा करवाने की तिथि
30-07-2020	28.07.2020 सांय 4.00 बजे तक

सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोली दाताओं की बोली की धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट बोली समाप्त होने पर वापिस कर दिये जायेंगे। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग के बराबर धनराशि तथा ठेके की कुल धनराशि का 5% भाग के बराबर सिक्योरिटी उसी दिन (ई-निलामी के दिन) RTGS/NEFT के माध्यम से दिए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के बैंक खाते मे जमा करवानी होगी तथा कुल बोली के 2/3 हिस्से की धनराशि ई- निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर-2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

ई-निलामी की शर्तें व अन्य विवरण Online portal <https://harfish.sets.co.in> तथा विभागिय website [www.harfish.gov.in](http://www.harfish.gov.in) पर देखी जा सकती हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला में जिला मत्स्य अधिकारी/मण्डल के उप-निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

हस्ता/-  
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,  
बेज न0 31-32, सैक्टर-4,  
पंचकूला।